

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर
क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 459

दिनांक 15/04/25

प्रार्थी :-

1. वभूताराम पुत्र मुलाराम
जाति जाट निवासी बीजराड
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

1. धीराराम 2. भीखाराम पि. फुसाराम
3. तगाराम पुत्र दलाराम 4. जसाराम पुत्र अर्जुनराम
5. जोगाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट 6. फोटाराम पुत्र
महेन्द्राराम 7. धाराराम पुत्र मूलाराम 8. गणेशाराम पुत्र मिठार
9. पिथाराम पुत्र मिठार जाति मेघवाल निवासी बीजराड
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 10. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन 191 / 2024

दिनांक 15.04.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा बीजराड के खेत खसरा सं. 1305/832 रकबा 8.4255 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।
प्रार्थी कमिश्नर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 460 to 63

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी वभूताराम पुत्र मुलाराम।
3. विप्रार्थी धीराराम पुत्र फुसाराम व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धोरीमना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक

15/04/25



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन